

**क्षेत्रीय कार्यालय,  
यूपीएसआईडीसी लि०, झॉंसी  
के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर झॉंसी में  
आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने का सुनाह्य अवसर**

यह योजना दिनांक 15.12.2016 से 31.03.2017 तक लागू

उपलब्ध भूखण्डों का विवरण एवं दर तथा सामान्य शर्तें

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूखण्ड का प्रकार	भूखण्ड का क्षेत्रफल	कुल उपलब्ध भूखण्ड	दर प्रति वर्गमी०
ग्रोथ सेंटर झॉंसी फेज-प्रथम (आवासीय सेक्टर)	आवासीय	155 वर्गमी०	01	3300.00
ग्रोथ सेंटर झॉंसी फेज-द्वितीय (आवासीय सेक्टर)	आवासीय	300 से 330 वर्गमी० 390 वर्गमी० 480 वर्गमी० 150 वर्गमी०	31 02 02 01	3300.00

पूर्ण भरे हुये आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि 31.03.2017 सायं 05 बजे तक

नियम व शर्तें-1. आवेदन फार्म रू० 525/- (सर्विस टैक्स सहित) प्रति आवेदन फार्म की दर से क्षेत्रीय कार्यालय, यूपीएसआईडीसी लि०, प्रशासनिक भवन, ग्रोथ सेंटर, बिजौली, झॉंसी से दिनांक 15.12.2016 से 31.03.2017 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2017 सायं 05 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। 2. आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग फीस के मद में रू० 2000/- एवं अग्रिम धनराशि के मद में भूखण्ड की लागत का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो यूपीएसआईडीसी लि०, झॉंसी के पक्ष में देय हो, फार्म के साथ संलग्न करना होगा। 3. भूखण्डों की संख्या एवं क्षेत्रफल घट बढ़ सकती है। 4. उपलब्ध भूखण्डों के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या अधिक होने पर लॉटरी पद्धति से भूखण्डों का आवंटन किया जायेगा। 5. प्रोसेसिंग फीस के मद में जमा की गई धनराशि न तो वापस की जायेगी और न ही अन्य किसी मद में समायोजित की जायेगी। 6. असफल आवेदकों की जमा अग्रिम धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 180 दिवस में बिना ब्याज के वापसी की जायेगी। 7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी लि०, को किसी भी या सभी आवेदनों को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। 8. आवंटन तिथि पर लागू प्रचलित दरें ही मान्य होगी। 11. भूखण्डों का आवंटन 90 वर्षीय पट्टे पर किया जायेगा जिसका लीज रेन्ट नियमानुसार आवंटी को देना होगा। 12. भूखण्ड का लोकेशन एवं कॉर्नर चार्जस अलग से देय होंगे। 13. ओपेन एण्डेड योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह के अन्त में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के पश्चात शेष बचे हुये भूखण्डों के आवंटन हेतु अगले माह के आवेदनों पर विचार किया जायेगा। यह कग योजना समाप्त होने तक जारी रहेगा।

आवंटन प्रक्रिया, नियम व शर्तें तथा अन्य विवरण निगम की वेबसाइट [www.upsidc.com](http://www.upsidc.com) पर देखी जा सकती है।